

# कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर

क्रमांक: संशिनि/मा/जय/संस्था-5/फा-एसीपीलेवल/ 79 /2019

दिनांक: 25-07-2019

जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय  
माध्यमिक/प्रारंभिक, दौसा / जयपुर/ अलवर

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,  
समस्त जयपुर संभाग।

**विषय:- ए.सी.पी.स्वीकृति हेतु प्रकरण भिजवाने के क्रम में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों जिनकी एसीपी देय है उन कार्मिकों के प्रकरण निम्न बिन्दुओं का समावेश करके मूल सेवापुस्तिका सहित इस कार्यालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें :-

1. सातवें वेतनमान में प्रदेय एसीपी प्रकरणों को पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2017 में वेतन निर्धारण के पश्चात् ही नवीन आवेदन पत्र में प्रस्तुत करें।
2. एसीपी प्रकरणों को आपके कार्यालय में पदस्थापित वरिष्ठतम लेखाकर्म से एसीपी नियमों के तहत जांच उपरान्त प्रतिहस्ताक्षर कराकर ही प्रेषित करावें।
3. रिब्यू/नियमित डीपीसी से चयनित व.अ./मंत्रालयिक कार्मिक का वेतन निर्धारण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत जांच कर ही प्रकरण प्रस्तुत करें।
4. वित्त विभाग राज0सरकार, शिक्षा निदेशालय व स्थानीय कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों / निर्देशों के अनुसार प्रकरण की जांच कर प्रेषित करावें।
5. यदि कोई कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 में अपना वेतन दिनांक 01.01.16 व उसके बाद जारी रखने का विकल्प देता है तो विकल्प की सेवापुस्तिका में प्रविष्टि की जाकर ऐसे प्रकरणों को पुराने आवेदन पत्र में ही प्रेषित करावें।
6. एसीपी प्रकरणों के साथ सीसीए 16/17 के तहत कार्यवाही/ विभागीय जांच/ न्यून परीक्षा परिणाम/ परिनिन्दा दण्ड/ न्यायालय प्रकरण विचाराधीन नहीं होने का प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करावें।
7. ऐसे कार्मिक जिन्होंने पदोन्नति का परित्याग कर दिया हो, उनकी सेवापुस्तिका में प्रविष्टि की जाकर जांच उपरान्त ही इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करावें।
8. प्रकरण 06 माह से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत करने का ठोस (वास्तविक) कारण।
9. एसीपी प्रकरण चैक लिस्ट के अनुसार ही आवश्यक रूप से स्वप्रमाणित कराकर प्रेषित करावें।

उपरोक्त एसीपी आवेदन पत्रों को आपके अधीनस्थ कार्यालयों / विद्यालयों को प्रसारित करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- प्रपत्र-02


प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 01.निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 02.मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/दौसा/अलवर।
- 03.समस्त संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि, जयपुर संभाग, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन कार्यरत कार्मिकों के एसीपी प्रकरण पूर्ण करवाकर सेवापुस्तिका सहित अविलम्ब नियंत्रण कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 04.रक्षित पत्रावली।



( बंशीधर गूर्जर )

संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
जयपुर संभाग, जयपुर



संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा  
जयपुर संभाग, जयपुर

ब्लॉक कार्यालय का नाम.....

### एसीपी प्रकरणों की चैक लिस्ट

कार्मिक का नाम.....पद.....

क्र०सं०	विवरण	पृ०सं०
1	एसीपी आवेदन पत्र	
2	प्रथम नियुक्ति आदेश की प्रति।	
3	समय समय पर सेवा वृद्धि आदेशों की प्रति।	
4	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण की प्रति।	
5	जिला परिषद द्वारा नियुक्त कार्मिकों के सेवा में चयन/स्कीनिंग आदेश की प्रति।	
6	सन्तान सम्बन्धी प्रमाण पत्र का मूल स्टाम्प पेपर (नोटरी द्वारा प्रमाणित)	
7	अनुकम्पा नियुक्ति के तहत नियुक्त कार्मिकों का टंकण परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र	
8	9 वर्षीय चयनित/एसीपी वेतनमान के आदेश की प्रति	
9	18 वर्षीय चयनित/एसीपी वेतनमान के आदेश की प्रति	
10	पदोन्नति/डीपीसी चयन आदेश की प्रति	
11	डीपीसी द्वारा पदोन्नति पर कार्यग्रहण की प्रति।	
12	नियुक्ति से अब तक पदोन्नति का परित्याग नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र।	
13	विभागीय जांच/सीसीए 16/17 में कार्यवाही नहीं होने का प्रमाण-पत्र	
14	न्यायालय प्रकरण विचाराधीन नहीं होने का प्रमाण-पत्र	
15	प्रकरण यदि 6 माह से अधिक विलम्ब की स्थिति में विलम्ब का ठोस कारण	
16	आवेदन की एक प्रति तथा संलग्नों के आवेदक द्वारा स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।	
17	अन्य कोई	

श्री..... पद..... के प्रकरण की जांच ए.सी.पी. नियमों के अनुसार कर ली गई है, तथा आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 16 पर प्रस्तावित दिनांक से ए.सी.पी. स्वीकृत करने की अभिशंषा की जाती है।

.....  
हस्ताक्षर लेखा प्रभारी  
नाम.....  
पद व मोहर सहित

.....  
हस्ताक्षर मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी  
नाम.....  
पद व मोहर सहित

दिनांक 01.01.2016 व उसाके बाद प्रदेय ए.सी.पी प्रकरण हेतु (अराजपत्रित वर्ग)

**ए.सी.पी. (Assured Carrer Progression) स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र**  
राज्यादेश संख्या F 15(1) FD/Rules/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में

1	नाम कर्मचारी		मोबाईल नम्बर	
2	वर्तमान पद		जन्म तिथि	
3	वर्तमान पदस्थापन स्थान			

4. सेवा पुस्तिकानुसार योग्यताएँ :-

शैक्षिक योग्यता		उत्तीर्ण वर्ष	प्रशैक्षिक योग्यताएँ	उत्तीर्ण वर्ष
सैक./हा. सैक.			1	
स्नातक			2	
स्नातकोत्तर			3	

5. राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति का संदर्भ :-

पद	नियुक्ति तिथि	नियमित नियुक्ति का दिनांक	नियुक्ति का प्रकार- RPSC/ सीधी भर्ती/ पंचायतराज विभाग/ अनुकम्पा/भूतपूर्व सैनिक	चयन वर्ष/पंचायत राज विभाग में नियुक्त अध्यापक का जिला स्थापना समिति द्वारा चयन दिनांक	वरिष्ठता क्रमांक अवधि एवं जिला मण्डल नाम

6. यदि सरप्लस होने के उपरान्त इस विभाग में समायोजन हुआ है तो :-

पद का नाम जिस पर समायोजन हुआ	विभाग में कार्य ग्रहण दिनांक	विशेष विवरण

7. प्रथम नियुक्ति के पश्चात कैंडर/सेवा में सीधी भर्ती हुई हो तो उसका विवरण :-

नियुक्ति का प्रकार- RPSC/ विभागीय आदि	सीधी भर्ती पर कार्यग्रहण दिनांक	पद का नाम	चयन वर्ष	वरिष्ठता क्रमांक अवधि एवं जिला मण्डल नाम

8. मंत्रालयिक संवर्ग में यदि विभागीय अनुकम्पात्मक अथवा विकलांग कोटे में नियुक्ति हुई तो विवरण :-

नियुक्ति का प्रकार- विभागीय/अनुकम्पात्मक/ विकलांग	पद	दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि	टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि	विशेष विवरण

9. यदि विभाग द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई है एवं पदोन्नति का परित्याग किया है तो उसका पूर्व विवरण

पदोन्नति पद	पदोन्नति आदेश दिनांक	पदोन्नति परित्याग किया है तो उसका विवरण

10. पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने संबंधी विवरण

क्र.स.	पद का नाम	पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने की दिनांक	डीपीसी चयन वर्ष/चयन तिथि	वरिष्ठता संख्या एवं अवधि

11. पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमानों का विवरण :-

पुनरीक्षित वेतन नियतन 2008 से पूर्व स्वीकृत चयनित वेतनमानों का विवरण	वर्ष की सेवा	स्वीकृत वरिष्ठ/ चयनित वेतनमान	स्वीकृत वरिष्ठ/ चयनित वेतनमान देय तिथि
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			

12.	पुनरीक्षित वेतन नियम 2008 के तहत पूर्व में स्वीकृत ए.सी.पी. का विवरण	वर्ष की सेवा	Running Pay Band	Grade Pay No.	Grade Pay/ Matrix Level No.	देय दिनांक
	प्रथम					
	द्वितीय					

13.	एसीपी देय दिनांक से पूर्व की रनिंग पे बैंड	Pay Band	Grade Pay No.	Matrix Level No.	विशेष विवरण/ वेतन नियतन का दिनांक

14. सम्पूर्ण सेवाकाल में विभागीय जांच/सीसीए 16/17 के तहत कार्यवाही हो तो उसका विवरण

आरोप पत्र जारी करने की दिनांक	निर्णय दिनांक	दी गई शास्ति/दण्ड	अन्य विवरण

15. दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् तृतीय या इससे अधिक संतान उत्पन्न हुई है तो उसका विवरण :-

नाम	लिंग	जन्म तिथि	संतान की क्रम संख्या

16. पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के तहत देय/स्वीकृत की जाने वाली ए.सी.पी. (Assured Carrer Progression) की स्थिति :-

ए.सी.पी. देय तिथि	प्रथम/द्वितीय/तृतीय	Pay Matrix Level No.

### घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दिया गया विवरण सही एवं सत्य है। वर्तमान में मेरे विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है एवं न ही प्रस्तावित है। अगर उक्त वर्णित सूचनाओं में कोई भी तथ्य गलत पाये जाने की स्थिति में मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

दिनांक

हस्ताक्षर कर्मचारी

नाम कार्मिक.....

पद .....

पदस्थापन स्थान .....

.....

-: कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाण-पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. श्री..... पद..... के विरुद्ध सी.सी.ए. 16/17 के तहत कोई विभागीय/फौजदारी जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है तथा पूर्व में कर्मचारी को दण्डित नहीं किया गया है। (जांच की स्थिति में पूर्ण विवरण अंकित करें)
2. पिछले सात वर्षों में वार्षिक वेतन वृद्धियां नियमित/निरन्तर मिल रही है तथा इनकी सेवाएं संतोषजनक है।
3. कार्मिक ने पूर्व में पदोन्नति का परित्याग नहीं किया है।
4. इनके विरुद्ध पूर्व में अधिक भुगतान की कोई वसूली बकाया नहीं है।
5. ए.सी.पी. प्रस्तावित तिथि तक की सेवाएं सेवापुस्तिका में निरन्तर प्रमाणित है, तथा सेवा में कोई व्यवधान नहीं है।
6. कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या- डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.2001, 23.07.2003 तथा 13.08.2004 के तहत 01.06.2002 या इसके पश्चात् दो से अधिक संतान न होने के संबंध में शपथ-पत्र कर्मचारी से प्राप्त कर लिया गया है, जो प्रकरण के साथ संलग्न है।
7. आवदेन पत्र में अंकित समस्त तथ्यों की जांच सेवा रिकार्ड एवं विभागीय अभिलेखानुसार कर ली गई है तथा सभी तथ्य अभिलेख के अनुरूप सही है। अतः ए.सी.पी. स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष

नाम.....

पद व मोहर सहित

वित्त विभाग की अधिसूचना पं.11(7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.9.2008 एवं परिपत्र संख्या एफ 14(88)एफडी/(नियम)/2008-II दिनांक 31.12.2009 के तहत राज्य शिक्षा सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति हेतु संतान सम्बन्धी शपथ-पत्र का प्रारूप (नोटरी से प्रमाणित) मूल प्रति

### शपथ- पत्र

मैं ..... पद .....

कार्यालय ..... एतद् द्वारा

घोषणा करता/करती हूँ कि :-

(i) दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या ..... थी।

क्र०सं०	नाम पुत्र/पुत्री	जन्म तिथि

(ii) दिनांक 01.06.2002 को अथवा इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है / नहीं हुई है एवं वर्तमान में बच्चों ( पुत्र/पुत्री ) की कुल संख्या ..... हैं।

क्र०सं०	नाम पुत्र/पुत्री	जन्म तिथि

हस्ताक्षर सत्यापित कर्ता.....

नाम .....

पद .....

वर्तमान पदस्थापन स्थान .....

/

**ए0सी0पी0 (Assured Career Progression) स्वीकृत हेतु आवेदन पत्र**  
(राज्यादेश दिनांक 12.09.2008 एवं 06.10.2006 की अनुपालना में )

1	वर्गचारी का नाम	
2	वर्तमान पद	जन्मतिथि
3	वर्तमान पदस्थापन स्थान	

4. सेवा पुस्तिका अनुसार योग्यताएं :-

शैक्षणिक योग्यता	उत्तीर्ण वर्ष	प्रशिक्षण योग्यताएं	उत्तीर्ण दिनांक
सैक. / हाउसिंग		1	
स्नातक		2	
स्नातकोत्तर		3	

5. राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति का सन्दर्भ :-

पद	नियुक्ति तिथि	नियमित नियुक्ति का दिनांक	नियुक्ति का प्रकार - RPSC / सीधी भर्ती / पंचायतराज विभाग / अपशिक्षित / विधवा / परित्यक्ता / विभागीय / विकलांग / अनुकम्पात्मक / भूतपूर्व सैनिक	चयन वर्ष / पंचायत विभाग में नियुक्त अध्यापक का स्थापना समिति द्वारा चयन दिनांक	वरिष्ठता क्रमांक, अवधि एवं जिला मण्डल नाम

6. यदि सरप्लस होने के उपरान्त इस विभाग में समायोजन हुआ है तो :-

पद का नाम जिस पर समायोजन हुआ	विभाग में कार्यग्रहण दिनांक	विशेष विवरण

7. प्रथम नियुक्ति के पश्चात वर्तमान कोडर / सेवा में सीधी भर्ती हुई तो उसका विवरण :-

नियुक्ति का प्रकार- RPSC / विभागीय आदि	सीधी भर्ती पर कार्यग्रहण दिनांक	पद का नाम	चयन वर्ष	वरिष्ठता क्रमांक, अवधि एवं जिला मण्डल नाम

8. मंत्रालय संवर्ग में यदि विभागीय, अनुकम्पात्मक अथवा विकलांग कोटे में नियुक्ति हुई है तो विवरण :-

नियुक्ति का प्रकार- विभागीय / अनुकम्पात्मक / विकलांग	पद	दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि	टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि	विशेष विवरण

9. यदि विभाग द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई है एवं पदोन्नति का परित्याग किया है तो उसका पूर्ण विवरण स्थान कम हो तो इसी प्रारूप में सूचना पृथक से भी संलग्न करे :-

पदोन्नति पद	पदोन्नति आदेश दिनांक	पदोन्नति परित्याग किया है तो विवरण

10. पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने सम्बंधी विवरण :-

क्र. सं.	पद का नाम	पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने की दिनांक	डीपीसी चयन वर्ष / चयन तिथि	वरिष्ठता संख्या एवं अवधि

11.

पुनरीक्षित वेतन नियम 2008 से पूर्व स्वीकृत चयनित वेतनमानों का विवरण	वर्ष की सेवा	स्वीकृत वरिष्ठ / चयनित वेतनमान	स्वीकृत वरिष्ठ / चयनित वेतनमान देय तिथि
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			

12.

पुनरीक्षित वेतन नियम 2008 के तहत पूर्व में स्वीकृत ए०सी०पी० (Assured Career Progression) का विवरण	दर्ज की सेवा	Running Pay Band	Grade Pay no.	Grade Pay	देय दिनांक
प्रथम					
द्वितीय					

13.

ए०सी०पी० देय दिनांक से पूर्व की रनिंग पे वेण्ड	Pay	Grade Pay	Total	विशेष विवरण/वेतन नियतन का दिनांक

14. सम्पूर्ण सेवाकाल में विभागीय जांच चली हो तो उसका विवरण (स्थान कम होने पर पृथक से संलग्न करें)

आरोप पत्र जारी करने की तिथि	निर्णय दिनांक	दी गई शारित/दण्ड	अन्य विवरण

15. पुनरीक्षित वेतन नियम 2008 के तहत देय/स्वीकृत की जाने वाली ए०सी०पी० (Assured Career Progression) की स्थिति :-

ए०सी०पी० देय तिथि	प्रथम/द्वितीय/तृतीय	Running Pay Band	Grade Pay no.	Grade Pay

**घोषणा**

मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दिया गया विवरण सही एवं सत्य है। वर्तमान में मेरे विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है एवं न ही प्रस्तावित है। (यदि विचाराधीन हो तो विवरण दे)

दिनांक-

हस्ताक्षर कर्मचारी

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :-

- श्री.....पद.....के विरुद्ध सीसीए नियम 16 व 17 के तहत कोई विभागीय जांच/फौजदारी/जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है तथा पूर्व में कर्मचारी को दण्डित नहीं किया गया है(इसके विपरीत स्थिति में पूर्ण विवरण अंकित करें)
- पिछले सात वर्षों में वार्षिक वेतन वृद्धियां नियमित/निरन्तर मिल रही हैं, तथा इनकी सेवाएं संतोषजनक हैं।
- पूर्व पदोन्नति का त्याग नहीं किया है।
- इनके विरुद्ध पूर्व में अधिक भुगतान की कोई वसूली बकाया नहीं है।
- ए०सी०पी० प्रस्तावित तिथि तक की सेवाएं सेवापुरितिका में निरन्तर प्रमाणित है तथा सेवा में कोई व्यवधान नहीं है।
- कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या-डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.2001, 23.07.2003 तथा 13.08.2004 के तहत 01.06.2002 या इसके परचात दो से अधिक संतान न हो के संबन्ध में शपथ पत्र कर्मचारी से प्राप्त कर लिया गया है जो प्रकरण के साथ संलग्न है।
- आवेदन पत्र में अंकित समस्त तथ्यों की जांच सेवा पुरितिका एवं विभागीय अभिलेखानुसार कर ली गई है सभी तथ्य अभिलेख के अनुरूप हैं। ए०सी०पी० स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष

नियन्त्रण अधिकारी द्वारा अनुशंसा

श्री.....पद.....के प्रकरण की जांच ए०सी०पी० नियमों के अनुसार कर ली है तथा आवेदन पत्र के कालम संख्या 15 पर प्रस्तावित तिथि से ए०सी०पी० स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर  
सहायक लेखाधिकारीहस्ताक्षर  
नियन्त्रण अधिकारी

नियुक्ति अधिकारी कार्यालय के उपयोग हेतु

कर्मचारी को स्वीकृत योग्य ए०सी०पी० (Assured Career Progression) का विवरण:-

ए०सी०पी०	अवधि वर्षों में	Running Pay Band	Grade Pay no.	Grade Pay	देय दिनांक